फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती दिव्यांशी बनाम विपक्षी : श्रीमती कालीबाई व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 127/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक 27.10.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 3, 4 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अत: अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 3, 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 5, 6 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। विपक्षी संख्या 5, 6 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे प्रार्थीया को सुना गया। प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थीया के कथनानुसार ग्राम वाना पटवार हल्का वाना तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की खाता संख्या नया 65 की आराजी 1199/8, 1203, 1225, 1226, 1227, 1228, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235 कुल किता 11 रकबा 26 बिघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण के पिता के दादाजी व विपक्षी संख्या 1 के दादीया ससुर व विपक्षी संख्या 2 के दादाजी विपक्षी भगवान व गोर्धन के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात कुलिया भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित मौरूसी जायदाद है जिसके मूल पुरूष भीमा थे जिनके तीन पुत्र है उंकार, भगवान, गोर्धन हुए उंकार की मृत्यु हो गई उंकार के पुत्र बद्रीलाल है। बद्रीलाल की मृत्यु हो गई जिसके वारिश एक पुत्र मांगीलाल व पत्नी कालीबाई व पुत्री कुसुम है व मांगीलाल की मृत्यु हो गई है जिनके वारिश दिव्यांशी पुत्री व रेखा पत्नी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 कालीबाई का 1/9 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 कुसुम का 1/9 हिस्सा व हम प्रार्थीगण दिव्यांशी, रेखा का 1/9 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 भगवानलाल का 1/3 हिस्सा व विपक्षी संख्या 4 गोर्धन का 1/3 हिस्सा हक अधिकार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण ने मिलकर अपने हिस्से अनुसार बाट रखी है इसी अनुसार हम उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 4 में वर्णित हक हिस्से अनुसार काविज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है लेकिन प्रार्थीया दिव्यांशी के पिता व प्रार्थीया रेखा के पति की मांगीलाल की मृत्यु हो जाने से विपक्षीगण हम प्रार्थीगण को हमरि हक हिस्से कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है जब कि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि मोरूसी भूमि है और प्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि में जन्म से ही हक अधिकार है एवं प्रार्थीया रेखा उसके पति मांगीलाल का निधन हो जाने हक अधिकार है लेकिन प्रार्थीया रेखा व उसके नाबालिग पुत्री दिव्यांशी को उसके हक हिस्से की भूमि से महरूम रखने एवं प्रार्थीया को बेदखल करने की नियम आये दिन प्रार्थीगण के साथ विपक्षीगण लडाई झगडा कर रहे है जिससे प्रार्थीगण को अपनी भूमि की सुरक्षा करना व काश्त करना कठीन हो गया है और प्रार्थीगण के मकान पर भी जबरन कब्जा करने व भूमि

की पिलाई बाड़ पेड़ आदि को नुकसान पहुचाने की धमकिया दे रहे है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 3, 4 द्वारा अपने जवाब में कथन कहा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का कानूनन बंटवारा नही हुआ जाता तब कोई भी पक्ष विशेष पडौसी को वर्णित कर भूमि को हस्तान्तरित करने का कानूनी अधिकारी नही है।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि होने का कथन कहा है इस संबंध में जब हम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी संवत 2068-71 की खाता संख्या नया 65 को देखते है तो पाते हैं कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि उकार, भगवान, गोरधन पिता भीमा ब्राहाम्ण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिससे प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि के मूल पुरूष भीमा के पुत्र बताया है। उक्त दस्तावेज से प्रार्थीया के द्वरा कथन को बल मिलता है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौरूसी भूमि है। विपक्षी संख्या 1, 3, 4 द्वारा अपने जवाब में प्रार्थनाग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि होने के संबंध में किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया है बल्कि विपक्षी संख्या 1, 3, 4 द्वारा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में कहे गये कथनों को स्वीकार किया है तथा उक्त पत्रावली में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में भी अपने जवाब में कोई विशेष आपत्ति जाहीर नहीं की है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हित निहित है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है। अन्य बिन्दुओं को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

-: : आदेश : :-

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बाना पटवार हल्का बाना हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2068-71 की खाता संख्या नया 65 की आराजी संख्या 1199/8, 1203, 1225, 1226, 1227, 1228, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235 कुल किता 11 रकबा 26 बिघा 04 बिस्वा भूमि में भू-प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।